Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में जोधपुर डिस्कॉम का अधीक्षण अभियन्ता उसके दलाल के मार्फत 28 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये दलाल कांतिलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को चतरसिंह मीणा अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जालोर के लिये परिवादी से 28 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी ब्रीक्स इन्टरलॉकिंग फैक्ट्री एसटीपी कनेक्शन 15 एचपी की फाइल को स्वीकृत करने की एवज में चतरसिंह मीणा अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जालोर द्वारा अपने दलाल ठेकेदार कांतिलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल कांतिलाल पुत्र श्री उदाराम माली निवासी राजेन्द्र नगर, जालोर हाल ठेकेदार (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 28 **हजार रुपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में चतरसिंह मीणा पुत्र श्री प्यारेलाल मीणा निवासी ग्राम उल्लूपुरा, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल निवासी अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जालोर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।